►► न्यूज ब्रीफ

जिला चिकित्सालय के आईसीयू वार्ड में मक्खी कीड़ा सुरक्षा मशीन उपलब्ध किया गया

दुर्ग। जिला चिकित्सालय के आईसीयू वार्ड में एक नग मक्खी से सुरक्षा और एक नग कीड़ा से सुरक्षा मशीन जीवन दीप समिति के आजीवन सदस्य सतीश सुराना और आशीष सुराना द्वारा आईसीयू में मरीजों के स्वास्थ्य सुविधा के लिए इन मशीन को जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन सह अधीक्षक डॉ हेमंत साहू ,आरएमओ डॉ अखिलेश यादव को उपलब्ध किया गया। जिसे आईसीयू की डॉ रचना दवे को उपलब्ध किया गया। इस सेवा एवम रचनात्मक अवसर पर जिला चिकित्सालय के जीवन दीप समिति के अवसर पर आजीवन सदस्य दिलीप ठाकुर, मानद सदस्य प्रशांत डोंगावकर, स्टोर इंचार्ज रमण गंधर्व उपस्थित थे।

6 विपत्तिग्रस्त परिवार को 24 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मंजूर

कवर्धा। कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने राजस्व पुस्तक परिपत्र छह-चार के तहत 13 विपत्तिग्रस्त परिवारों को 52 लाख रूपए की आर्थिक अनुदान सहायता राशि की स्वीकृति प्रदान की है। इस प्रकरण के तहत विपत्तिग्रस्त परिवारों के चार-चार लाख रूपए दी जाएगी।

स्वदेशी मेला से देश की आर्थिक सशक्तीकरण और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को बढ़ावा मिल रहा

स्वदेशी मेला में 22 अक्टूबर को मुख्य अतिथि के रूप में आरंग विधायक एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, गुरु खुशवंत साहेब ने शिरकत की

समवेत शिखर संवाददाता

कवर्धा। कवर्धा के पी. जी. कॉलेज में आयोजित स्वदेशी मेला में 22 अक्टूबर को मुख्य अतिथि के रूप में आरंग विधायक एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, गुरु खुशवंत साहेब ने शिरकत की। यह आयोजन स्वर्णिम भारत वर्ष फाउंडेशन के तत्वावधान में किया गया।

विधायक गुरु खुशवंत साहेब ने मेले के उद्देश्य की सराहना की, जिसमें स्वदेशी उत्पादों के प्रोत्साहन और स्थानीय कारीगरों को मंच प्रदान करना शामिल है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मेलों के माध्यम से देश की आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा। मेले में विभिन्न स्वदेशी उत्पादों, हस्तशिल्प, परंपरागत वस्त्र, और स्थानीय उद्योगों के प्रदर्शन की व्यवस्था की गई है, जो न केवल स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं, बल्कि स्वदेशी संस्कृति और धरोहर के प्रचार-प्रसार में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा, मेले में कई प्रकार के झूलों ने भी इसकी शोभा में चार चांद लगा दिए, जो दर्शकों और बच्चों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बने रहे।

स्वदेशी मेला में छत्तीसगढ़ के कई कलाकारों द्वारा मंच पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन भी मेले का मुख्य आकर्षण रहा। इन प्रस्तुतियों ने छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित किया और उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्वर्णिम भारत वर्ष फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने बताया कि स्वदेशी मेला का उद्देश्य युवाओं और आम जनता के बीच स्वदेशी वस्तुओं और आत्मनिर्भरता की भावना को जागरूक करना है। स्वदेशी मेला में कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री पुरेन्द्र सिन्हा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री चंद्रशेखर वर्मा, श्री शत्रुहन सिंह नेताम, श्री रवि कुमार साहू, श्री हलधर नाथ योगी, श्री डोमन चंद्रवंशी, श्री सूर्यप्रकाश चंद्रवंशी,श्री रामाधार मेरावी, श्री रामशरण चंद्रवंशी, श्री अमित मिश्रा, श्री दिलीप तिवारी, श्री प्रांजल ठाकुर, श्री विकास मिश्रा, श्री रवि आमदे उपस्थित थे।

कबीरधाम जिले में राज्य स्थापना दिवस समारोह की तैयारी जोर-शोर से

कलेक्टर गोपाल वर्मा ने कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए विभागों के अधिकारियों को सौंपा दायित्व

समवेत शिखर संवाददाता

कवर्धा। कबीरधाम जिले में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 05 नवंबर 2024 को जिला मुख्यालय कवर्धा के पीजी कॉलेज मैदान में एक दिवसीय राज्य स्थापना दिवस समारोह का आयोजन हर्षोल्लास से किया जाएगा।

कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दायित्व सौंपा है। एक दिवसीय राज्य स्थापना दिवस समारोह में विभिन्न विभागों की विभागीय प्रदर्शनी का आयोजन एवं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक को दायित्व सौंपा है। इसी तरह कार्यक्रम स्थल में पंडाल, बेरीकेटिंग एवं मंच की व्यवस्था मंच सज्जा, गुलदस्ता, फूलमाला एवं दीप प्रज्वलन की व्यवस्था, पंडाल एवं बेरीकेटिंग हेतु बांस बल्ली, लाइट माइक एवं साउण्ड सिस्टम की व्यवस्था करने का दायित्व अलग-अलग अधिकारियों को सौंपा है। कलेक्टर ने समस्त विभागों का स्टाल लगाकर विभागीय गतिविधियों एवं योजनाओं की प्रदर्शनी एवं केन्द्र तथा राज्य सरकार की प्राथमिकता की योजनाओं एवं कार्यों के प्रदर्शन करने के लिए एवं विभिन्न विकास विभाग की विभागीय प्रदर्शनी का आयोजन, विभिन्न विभागों में विशेष उपलब्धियों को विशेष रूप में प्रदर्शन, केन्द्र, राज्य शासन के विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं एवं सफल योजनाओं का प्रदर्शन एवं उपलब्धियों को प्रदर्शित करने सभी विभागों को दायित्व सौंपे गए है।

जिला कांग्रेस कमेटी के बैठक में खुज्जी विधायक भोलाराम साहू शामिल हुए

समवेत शिखर संवाददाता

राजनांदगांव। जिला में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं छग कांग्रेस के सह प्रभारी एस ए सम्पत कुमार का आगमन होने पर सतनाम भवन राजनांदगांव में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित बैठक में विधायक खुज्जी भोलाराम साहू शामिल हुए स्वागत पश्चात सभी ने कांग्रेसजनों को संगठन की मजबूती हेतु मार्गदर्शन एवं उत्साहवर्धन किए. इस दौरान विधायक डोंगरगढ़ हर्षिता स्वामी बघेल, जिला अध्यक्ष भागवत साहू , सुजीत बघेल, धनेश पाटिला, पूर्व विधायकगण, किशन खंडेलवाल, पदम् कोठारी, रामक्षत्रिय, राजकुमारी सिन्हा, मनोज सिन्हा, नरेश शुक्ला, शरद चंद्राकर एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव के पदाधिकारीगण, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महिला कांग्रेस, ब्लॉक अध्यक्ष ,जोन, सेक्टर, बुथ के पदाधिकारी तथा कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

न्यायालय कार्यपालिक दण्डाधिकारी साजा जिला बेमेतरा (छ.ग.)

// ईश्तहार//

रा.प्र.क्र. 202410230700011 सन 2023-24
श्रेणी-ब/121

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका सुनीता बाई पति फगनुराम जाति गोंड़ निवासी ग्राम बिरनपुर पहनं. 14 तहसील साजा जिला बेमेतरा के द्वारा अपने पति फगनुराम के मृत्यु दिनांक 10.05.2008 को ग्राम बिरनपुर पहनं. 14 तहसील साजा जिला बेमेतरा छ.ग. में हुआ था। जिसका मृत्यु पंजीयन नहीं हुआ है। अतः पंजीयन कराने हेतु रजिस्ट्रार ग्राम पंचायत बिरनपुर को आदेशित किये जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतः उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 25.10.2024 तक पेश कर सकते है। प्रकरण के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 09.10.2024 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

(मुहर) कार्यपालिक दण्डाधिकारी
साजा, जिला बेमेतरा (छ.ग.)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) साजा जिला बेमेतरा (छ.ग.)

// ईश्तहार//

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक हेमराम वर्मा पिता लैलूराम वर्मा ग्राम चोरभट्ठी तहसील साजा जिला बेमेतरा के द्वारा ग्राम चोरट्ठी तहसील साजा जिला बेमेतरा स्थित अपने भूमिस्वामी हक की भूमि ख.नं. 333/4 रकबा 0.08 हे. भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ व्यपवर्तित करने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है। जिसे संहिता की धारा 172 सहपठित धारा 5 (2), (5) के तहत व्यपवर्तित किया जाना है।

अतः इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति को उजर-दावा हो तो दिनांक 06.11.2024 तक स्वतः अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में शाम 5.00 बजे तक दावा /आपत्ति पेश कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 23.10.2024 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

(मुहर) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
साजा, जिला बेमेतरा (छ.ग.)

न्यायालय कार्यपालिक दण्डाधिकारी थान खम्हरिया जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

// ईश्तहार//

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक गंगाधर वर्मा पिता गौतम सिह वर्मा जाति लोधी निवासी ग्राम हाटरांका तहसील थान खम्हरिया जिला बेमेतरा के द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि उनके पुत्र वेदांश का जन्म दिनांक 07/12/2014 को ग्राम हाटरांका मे हुआ है। अतएव जिस किसी को आपत्ति हो तो दावा आपत्ति पेशी दिनांक 08/11/2023 तक कार्यालय मे उपस्थित होकर दावा आपत्ति पेश कर सकते है।

आवेदक अपने पुत्र नाम वेदांश का जन्म प्रमाण पत्र की मांग की गयी है जो देने हेतु इस न्यायालय मे आवेदन लंबित है।

अतः आज दिनांक 24/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा सहित जारी किया गया।

(मुहर) कार्यपालिक दण्डाधिकारी
थान खम्हरिया
जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार गोबरा नवापारा के न्यायालय में मामला क्रमांक : 202410114800008

विषय :- अ-5, मामले की श्रेणी : राजस्व, सन् 2024-2025, टोकरो प.ह.नं. 00013 (हे.)
पक्षकारों का विवरण- आवेदक पक्षकार- खिलेश्वर साहू,
अनावेदक पक्षकार- छ.ग. शासन,

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक खिलेश्वर साहू पिता श्री खेदूराम साहू निवासी ग्राम टोकरो द्वारा आवेदन पत्र वास्ते बंदोबस्त त्रुटि सुधार किये जाने बाबत आवेदन पेश किया है कि ग्राम टोकरो प.ह.नं. 18 रा.नि.मं. पिपरौद तहसील गोबरा नवापारा जिला रायपुर स्थित भूमि ख.नं. 1488 एवं 1487 रकबा क्रमशः 0.36 एवं 0.30 हे. भूमि आवेदक के संयुक्त नाम पर वर्तमान अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि का वर्तमान नक्शा एवं बंदोबस्त पूर्व के नक्शा से मिलान करने पर काफी अंतर है एवं नक्शा बदला हुआ है। बंदोबस्त सर्वेक्षण के दौरान नक्शा में त्रुटि कर दी गई है, जिसके कारण नक्शा त्रुटि को सुधार किये जाने बाबत आवेदन पेश किया है। जिसकी सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 07/11/2024 को नियत है।

उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो आप अपने अधिवक्ता/अधिकृत व्यक्ति या स्वयं के द्वारा नियत दिनांक के पूर्व दावा आपत्ति पेश कर सकते हैं। बाद में आये दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01/10/2024 को जारी किया जाता है।

(मुहर) नायब तहसीलदार
गोबरा नवापारा

न्यायालय कार्यपालिक दण्डाधिकारी थान खम्हरिया जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

// ईश्तहार//

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजकुमार पिता भारत जाति मरार निवासी ग्राम रमपुरा तहसील थान खम्हरिया जिला बेमेतरा के द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि उनके पुत्र रोशन का जन्म दिनांक 28/04/2010 को ग्राम रमपुरा मे हुआ है। अतएव जिस किसी को आपत्ति हो तो दावा आपत्ति पेशी दिनांक 04/11/2024 तक तक कार्यालय मे उपस्थित होकर दावा आपत्ति पेश कर सकते हैं।

आवेदक अपने पुत्र नाम रोशन का जन्म प्रमाण पत्र की मांग की गई है जो देने हेतु इस न्यायालय में आवेदन लंबित है।

अतः आज दिनांक 21/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा सहित जारी किया गया।

(मुहर) कार्यपालिक दण्डाधिकारी
थान खम्हरिया
जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

न्यायालय कार्यपालिक दण्डाधिकारी थान खम्हरिया जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

// ईश्तहार//

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजा पिता ननकूराम जाति गोङ निवासी ग्राम पतोरा तहसील थान खम्हरिया जिला बेमेतरा के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि उनके पिता ननकूराम पिता केजऊ का मृत्यु दिनांक 19/07/2023 को ग्राम पतोरा मे हुआ है। अतएव जिस किसी को आपत्ति हो तो दावा आपत्ति पेशी दिनांक 11/11/2024 तक कार्यालय मे उपस्थित होकर दावा आपत्ति पेश कर सकते हैं।

आवेदक अपने पिता नाम ननकूराम पिता केजऊ का मृत्यु प्रमाण पत्र की मांग की गयी है जो देने हेतु इस न्यायालय मे आवेदन लंबित है।

अतः आज दिनांक 24/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा सहित जारी किया गया।

(मुहर) कार्यपालिक दण्डाधिकारी
थान खम्हरिया
जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार उपतहसील देवरबीजा जिला बेमेतरा (छ.ग.)

// ईश्तहार //

एतद् द्वारा सर्व साधारण आम जनता ग्राम पंचायत ग्राम केशडबरी को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक बलजिंदर सिंह पिता गुरूनाम सिंह निवासी ग्राम केशडबरी, उपतहसील देवरबीजा जिला बेमेतरा (छ.ग.) के द्वारा ग्राम केशडबरी प.ह.नं. 02 में स्थित भूमि खसरा नंबर 39/2, 102/5 रकबा 0.40, 0.37 हे. कुल ख.नं. 02 कुल रकबा 0.77 हे. भूमि राजस्व अभिलेख में बलजिंदर सिंह पिता गुरूनाम सिंह के नाम दर्ज है। जिसका पूर्व में ऋण पुस्तिका जारी हुआ था। उक्त ऋण पुस्तिका आवेदक के द्वारा ग्राम देवरबीजा में कहीं गुम हो चुका है। उक्त भूमि की ऋण पुस्तिका कहीं बंधक, गिरवी नहीं है पूर्ण रूप से पाक साफ तथा पूर्णतः भार मुक्त है। आवेदक द्वारा ऋण पुस्तिका की द्वितीय प्रति जारी करने बाबत आवेदन पत्र के साथ बी-1, स्थानीय बैंकों का कर्ज नहीं प्रमाण पत्र, पुलिस थाना में ऋण पुस्तिका गुमने की सूचना की कापी एवं शपथपत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। तत्संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति/संस्था/समूह को कोई दावा आपत्ति हो तो वे अपना दावा आपत्ति आवेदन इस न्यायालय में नियत पेशी तारीख 08/11/2024 तक न्यायालयीन समय में स्वतः अथवा अपने वैध अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर पेश कर सकते हैं। नियत तारीख के बाद प्राप्त आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से आज दिनांक 24/10/2024 को जारी किया गया।

(मुहर) नायब तहसीलदार
देवरबीजा

न्यायालय नायब तहसीलदार गोबरा नवापारा के न्यायालय में मामला क्रमांक : 202410114800005

विषय :- अ-6 अ, मामले की श्रेणी : राजस्व, सन् 2024-2025, पोंड़ प.ह.नं. 36 (प.ह.नं. 00008),
पक्षकारों का विवरण- आवेदक पक्षकार-चमेली बाई साहू,
अनावेदक पक्षकार- छ.ग. शासन,

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका चमेली बाई साहू पति भंवरलाल साहू निवासी ग्राम पिपरौद द्वारा आवेदन पत्र वास्ते छ.ग.भू. राजस्व संहिता 1959 अंतर्गत रिकार्ड दुरुस्त करने बाबत आवेदन पेश किया है कि आवेदिका द्वारा संयुक्त नाम पर ग्राम पोंड़ प.ह.नं. 08 रा.नि.मं. तोरला तहसील गोबरा नवापारा जिला रायपुर स्थित भूमि ख.नं. 1141, 1142 रकबा क्रमशः 0.21, 0.08 हे. भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 22/07/2015 को विक्रेता बिसरू राम साहू पिता फिरतु राम साहू से क्रय किया गया है। आवेदित भूमि का क्रय पश्चात नामांतरण क्रमांक 49 आदेश दिनांक 10/08/2015 अनुसार आवेदित भूमि को आवेदिका के संयुक्त नाम दर्ज कर ऋण पुस्तिका क्रमांक पी-1921867 जारी किया गया, परन्तु वर्तमान राजस्व अभिलेख में आवेदिका का नाम दर्ज नहीं किया गया, जिसके कारण विक्रय पत्र एवं नामांतरण पंजी अनुसार आवेदिका अपना एवं सहखातेदार शशिकला पति गजानंद साहू का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसकी सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 30/10/2024 को नियत है।

उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो आप अपने अधिवक्ता/अधिकृत व्यक्ति या स्वयं के द्वारा नियत दिनांक के पूर्व दावा आपत्ति पेश कर सकते हैं। बाद में आये दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01/10/2024 को जारी किया जाता है।

(मुहर) नायब तहसीलदार
गोबरा नवापारा

कार्यालय नगर पंचायत कुरूद, जिला-धमतरी (छ.ग.)

क्र /3311/2/राजस्व/न.पं./2024-25 कुरूद, दिनांक 24/10/2024

//दुकान नीलामी निरस्त करने की सूचना//

इस कार्यालय के दुकान निर्माण के लिए प्रीमियम की नीलामी सूचना क्रमांक /3218/2/राजस्व/दुकान नीलामी/2024-25 कुरूद **दिनांक 15/10/2024** जारी की गई थी, जिसे अपरिहार्य कारणों से निरस्त की जाती है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पंचायत कुरूद
जिला-धमतरी (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं **आशा तिवारी ASHA TIWARI** उम्र 32 वर्ष पति-**आशुतोष तिवारी ASHUTOSH TIWARI** निवासी-म.नं. 156, सेंट जेवियर के पास, चंडी नगर, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) की निवासी हूं जो कि निम्नलिखित कथन शपथपूर्वक करती हूं:-

1. यह कि मेरा नाम व पता उपरोक्तानुसार सत्य व सही है।
2. यह कि मेरे पुत्र जिसका जन्म 18/02/2024 को रायपुर शहर में हुआ है जिसके जन्म प्रमाण पत्र जिसका पंजीकरण संख्या **B-2024:22-90434-002302** जारी दिनांक 26/02/2024 है जिसमें मेरे पुत्र का नाम **अयान तिवारी AYAN TIWARI** अंकित है जो कि नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा प्रदान किया गया है।
3. यह कि मेरे पुत्र का नाम मैंने अब परिवर्तन कर दिया है जिससे उसका नाम अब **हर्षित तिवारी HARSHIT TIWARI** हो गया है।
4. यह कि यह शपथपत्र मैं अपने पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र में **अयान तिवारी AYAN TIWARI** के स्थान पर **हर्षित तिवारी HARSHIT TIWARI** दर्ज कर नवीन जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहती हूं जिसके समर्थन में यह शपथपत्र नगर पालिक निगम रायपुर के जन्म पंजीयन विभाग के संबंधित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं।

अत: यह शपथपत्र उपरोक्त कथनों की सत्यता में संबंधित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत है।

शपथकर्ता
आशा तिवारी

Arcil Premier ARC

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (एआरसीआईएल)

विभिन्न एआरसीआईएल ट्रस्टों के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करना

एआरसीआईएल कार्यालय: द रूबी, 10वां फ्लोर, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-400028.
ब्रांच ऑफिस : रूम नं. 1001, 10वां फ्लोर, सिग्नेट टॉवर, डीएन 2, सेक्टर 5, साल्ट लेक, कोलकाता-700091, पश्चिम बंगाल : टेलीफोन: 03348226608. Website : https://auction.arcil.co.in, CIN-U65999MH2002PLC134884

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6, 8 और 9 के साथ पठित, ऑनलाइन ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना।

एतद्द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ताओं/गारंटियों/बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां, जो विभिन्न एआरसीआईएल ट्रस्टों के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए (पंजीकृत असाइनमेंट समझौतों के माध्यम से वित्तीय परिसंपत्ति के असाइनमेंट के अनुसार) एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के पास बंधक/प्रभारित हैं, को 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है', 'जो कुछ भी है' तथा 'बिना किसी सहारे के आधार' पर ऑनलाइन ई-नीलामी के माध्यम से बेचा जाएगा, ताकि प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') के प्रावधानों के अनुसार नीचे दिए गए विस्तृत विवरण के अनुसार आगे के ब्याज, शुल्क और लागत आदि के साथ बकाया राशि की वसूली की जा सके, जिसे प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ('नियम') के नियम 6, 8 और 9 के साथ पढ़ा जाएं।

उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता/ गारंटर/बंधक का नाम	लैन नं. और विक्रय बैंक	ट्रस्ट का नाम	सरफेसी नोटिस दिनांक 15 सितम्बर 2018 के अनुसार बकाया राशि	कब्ज़ा प्रकार और तारीख	निरीक्षण की तिथि	संपत्ति का प्रकार और क्षेत्र	बयाना राशि जमा (ईएमडी)	आरक्षित मूल्य	ई-नीलामी की तिथि और समय
उधारकर्ता : संदीप गुप्ता/सोनाली गुप्ता/ गोपाल गुप्ता	20008510002669 (बंधन बैंक)	एआरसीआईएल 2024सी004 ट्रस्ट	53,38,802.49/ रुपए (तिरपन लाख अड़तीस हजार आठ सौ दो रुपए और उनचास पैसे मात्र) 15 सितम्बर 2018 तक + उस पर अतिरिक्त ब्याज + कानूनी खर्च	28 फरवरी 2023 को भौतिक	अनुरोध पर व्यवस्था की जाएगी	फ्रीहोल्ड होमस्टेड डायवर्टेड भूमि और निर्माण (भूमि 656 वर्ग फीट)	1,67,200/ रुपए (एक लाख षड़सठ हजार दो सौ रुपए मात्र)	16,72,000/ रुपए (सोलह लाख बहत्तर हजार रुपए मात्र)	27 नवंबर 2024 दोपहर 12.00 बजे

<u>नीलाम की जा रही सुरक्षित संपत्ति का विवरण:</u> **संदीप गुप्ता और सोनाली गुप्ता के स्वामित्व वाली संपत्तिः- अचल संपत्ति भूमि और निर्माण भूमि परिमाप 1000 वर्ग फीट,** होमस्टेड डायवर्टेड खाता नं. 1380 के वह सभी हिस्सा एवं खंड, खसरा नं. 151/9, मौजा-अमलीडीह, डॉ. राजेंद्र प्रसाद वार्ड नं. 46, प्रति खाता अनुक्रमांक 21 अनुसार, प. ह. नं. 69/70, आरएनएम-रायपुर, तहसील एवं जिला-रायपुर और घिरे हुए हैं : उत्तर : अविभाष सिंह का मकान, दक्षिण : सड़क, पूर्व : डॉ. हंस बंजारा का प्लैट, पश्चिम : सड़क।

उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता/ गारंटर/बंधक का नाम	लैन नं. और विक्रय बैंक	ट्रस्ट का नाम	सरफेसी नोटिस दिनांक 15 सितम्बर 2018 के अनुसार बकाया राशि	कब्ज़ा प्रकार और तारीख	निरीक्षण की तिथि	संपत्ति का प्रकार और क्षेत्र	बयाना राशि जमा (ईएमडी)	आरक्षित मूल्य	ई-नीलामी की तिथि और समय
उधारकर्ता : राधे श्याम परमार/ श्रीमती संतोषी परमार	20008510003036 (बंधन बैंक)	एआरसीआईएल 2024सी004 ट्रस्ट	14,71,862.88/ रुपए (चौदह लाख एकहत्तर हजार आठ सौ बैसठ रुपए और अठ्यासी पैसे मात्र) 07 दिसंबर 2019 तक + उस पर अतिरिक्त ब्याज + कानूनी खर्च	3 मार्च 2023 को भौतिक	अनुरोध पर व्यवस्था की जाएगी	फ्रीहोल्ड होमस्टेड डायवर्टेड भूमि और निर्माण (भूमि 656 वर्ग फीट)	2,42,200/ रुपए (दो लाख बियालीस हजार दो सौ रुपए मात्र)	24,22,000/ रुपए (चौबीस लाख बाइस हजार रुपए मात्र)	27 नवंबर 2024 दोपहर 2.30 बजे

<u>नीलाम की जा रही सुरक्षित संपत्ति का विवरण:</u> **राधेश्याम परमार के स्वामित्व वाली संपत्तिः- अचल संपत्ति भूमि और निर्माण भूमि परिमाप 656 वर्ग फीट,** होमस्टेड डायवर्टेड जमीन हिस्सा 4 के वह सभी हिस्सा एवं खंड, खाता नं. 1471, खसरा नं. 301, 302 (हिस्सा), परिमाप 656 वर्ग फीट, मौजा-मठपुरैना, वार्ड नं. 52, चंद्रशेखर आजाद वार्ड, मठपुरैना, प. ह. नं. 105/61, आरएनएम- रायपुर 1, रावतपुरा कालोनी फेस 2, तहसील एवं जिला-रायपुर, **और घिरे हुए हैं : उत्तर :** महेश धनगड़ का मकान, दक्षिण : संदीप तिवारी का मकान, पूर्व : राजकुमार सिहानी की जमीन, पश्चिम : सड़क।

उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता/ गारंटर/बंधक का नाम	लैन नं. और विक्रय बैंक	ट्रस्ट का नाम	सरफेसी नोटिस दिनांक 15 सितम्बर 2018 के अनुसार बकाया राशि	कब्ज़ा प्रकार और तारीख	निरीक्षण की तिथि	संपत्ति का प्रकार और क्षेत्र	बयाना राशि जमा (ईएमडी)	आरक्षित मूल्य	ई-नीलामी की तिथि और समय
उधारकर्ता : दुष्यंत देवांगन/ शिव कुमारी देवांगन	20008510002490 (बंधन बैंक)	एआरसीआईएल 2024सी004 ट्रस्ट	23,44,029.31/ रुपए (तेइस लाख चौवालीस हजार उनतीस रुपए और एकतीस पैसे मात्र) 27 मार्च 2018 तक + उस पर अतिरिक्त ब्याज + कानूनी खर्च	10 नवंबर 2022 को भौतिक	अनुरोध पर व्यवस्था की जाएगी	फ्रीहोल्ड जमीन और निर्माण (भूमि 600 वर्ग फीट)	1,53,000/ रुपए (एक लाख तिरपन हजार दो सौ रुपए मात्र)	15,30,000/ रुपए (पंद्रह लाख तीस हजार रुपए मात्र)	27 नवंबर 2024 दोपहर 12.00 बजे

<u>नीलाम की जा रही सुरक्षित संपत्ति का विवरण:</u> **दुष्यंत देवांगन के स्वामित्व वाली संपत्तिः- अचल संपत्ति भूमि और निर्माण भूमि परिमाप 600 वर्ग फीट (भूमि),** अचल संपत्ति के सभी हिस्सा एवं खंड, जो मौजा-मठपुरैना, रावतपुरा नगर, चंद्रशेखर आजाद वार्ड, वार्ड नं. 52, पुराना ख. नं. प. ह. नं. 105/61 का हिस्सा, (प. ह. नं. 105/47), आरएनएम- रायपुर 1, खाता नं. 296, नया खसरा नं. 99/72, 100/15, 102/15, रावतपुरा नगर, तहसील एवं जिला-रायपुर, **और घिरे हुए हैं : उत्तर :** चंद्रशेखर साहू की जमीन, **दक्षिण :** सड़क, **पूर्व :** मेसर्स/त्रिशक्ति कंस्ट्रक्शन की जमीन, पश्चिम : कमल नारायण सोनकर की जमीन।

उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता/ गारंटर/बंधक का नाम	लैन नं. और विक्रय बैंक	ट्रस्ट का नाम	सरफेसी नोटिस दिनांक 15 सितम्बर 2018 के अनुसार बकाया राशि	कब्ज़ा प्रकार और तारीख	निरीक्षण की तिथि	संपत्ति का प्रकार और क्षेत्र	बयाना राशि जमा (ईएमडी)	आरक्षित मूल्य	ई-नीलामी की तिथि और समय
उधारकर्ता : रूपेश कुमार सिंह/ श्रीमती उर्मिला देवी सिंह	20008510002798 (बंधन बैंक)	एआरसीआईएल 2024सी004 ट्रस्ट	16,14,947.77/ रुपए (सोलह लाख चौदह हजार नौ सौ सैतालीस रुपए और ससहत्तर पैसे मात्र) 06 सितंबर 2018 तक + उस पर अतिरिक्त ब्याज + कानूनी खर्च	20 अक्टूबर 2022 को भौतिक	अनुरोध पर व्यवस्था की जाएगी	फ्रीहोल्ड फ्लैट (600 वर्ग फीट सुपर बिल्डअप एरिया)	78,400/ रुपए (अठहत्तर हजार चार सौ रुपए मात्र)	7,84,000/ रुपए (सात लाख चौरासी हजार रुपए मात्र)	27 नवंबर 2024 दोपहर 2.00 बजे

<u>नीलाम की जा रही सुरक्षित संपत्ति का विवरण:</u> **रूपेश कुमार सिंह के स्वामित्व वाली संपत्तिः- अचल संपत्ति भूमि और निर्माण भूमि परिमाप 485.92 वर्ग फीट सुपर बिल्डअप एरिया,** अचल संपत्ति के सभी हिस्सा एवं खंड, जो फ्लैट नं. एलआईजी 77, तीसरा फ्लोर, ब्लाक नं. 05, खसरा नं. 374/2 का हिस्सा, प. ह. नं. 113, वार्ड नं. 28, महर्षि वाल्मिकी वार्ड, तेलीबांधा, (शंकरनगर में दीनदयाल आवास योजना) आरएनएम डोंगरगढ़, तहसील-डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव, **और घिरे हुए हैं : उत्तर :** सड़क, **दक्षिण :** शासकीय तालाब, **पूर्व :** अरविंद कौर की जमीन, **पश्चिम :** अरविंद कौर की जमीन।

उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता/ गारंटर/बंधक का नाम	लैन नं. और विक्रय बैंक	ट्रस्ट का नाम	सरफेसी नोटिस दिनांक 15 सितम्बर 2018 के अनुसार बकाया राशि	कब्ज़ा प्रकार और तारीख	निरीक्षण की तिथि	संपत्ति का प्रकार और क्षेत्र	बयाना राशि जमा (ईएमडी)	आरक्षित मूल्य	ई-नीलामी की तिथि और समय
उधारकर्ता : पी. जानकी राव/ श्रीमती गेडेला रत्नम	20008510000831 (बंधन बैंक)	एआरसीआईएल 2024सी004 ट्रस्ट	21,78,956/ रुपए (इक्कीस लाख अठहत्तर हजार नौ सौ छप्पन रुपए मात्र) 02 जनवरी 2020 तक + उस पर अतिरिक्त ब्याज + कानूनी खर्च	22 फरवरी 2023 को भौतिक	अनुरोध पर व्यवस्था की जाएगी	फ्रीहोल्ड होमस्टेड डायवर्टेड भूमि और निर्माण (भूमि 1500 वर्ग फीट)	1, 20,300/ रुपए (एक लाख बीस हजार तीन सौ रुपए मात्र)	12,03,000/ रुपए (बारह लाख तीन हजार रुपए मात्र)	28 नवंबर 2024 दोपहर 12.30 बजे

<u>नीलाम की जा रही सुरक्षित संपत्ति का विवरण:</u> **पी. जानकी राव की पत्नी पी. रत्नम के स्वामित्व वाली संपत्तिः- अचल संपत्ति भूमि और निर्माण भूमि परिमाप 1500 वर्ग फीट जमीन,** अचल संपत्ति के सभी हिस्सा एवं खंड, जो फ्लैट नं. एलआईजी 77, तीसरा फ्लोर, ब्लाक नं. 05, खसरा नं. 374/2 का हिस्सा, प. ह. नं. 113, वार्ड नं. 28, महर्षि वाल्मिकी वार्ड, तेलीबांधा, (शंकरनगर में दीनदयाल आवास योजना) आरएनएम डोंगरगढ़, तहसील-डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव, **और घिरे हुए हैं : उत्तर :** सड़क, **दक्षिण :** शासकीय तालाब, **पूर्व :** अरविंद कौर की जमीन, **पश्चिम :** अरविंद कौर की जमीन।

एआरसीआईएल को ज्ञात लंबित मुकदमे	शून्य	एआरसीआईएल को ज्ञात ऋणभार/बकाया	शून्य
बोली जमा करने की अंतिम तिथि	उसी दिन नीलामी से 2 घंटे पहले	बोली वृद्धिशील राशि:	जैसा कि बोली दस्तावेज़ में उल्लेखित है
डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से बनवाना होगा:	एआरसीआईएल 2024सी-004-ट्रस्ट		सममूल्य पर देय
आरटीजीएस विवरण	खाता नाम: एआरसीआईएल 2024सी-004-ट्रस्ट: खाता नं. 57500001409112 : IFSC Code : HDFC0000542, Maintained with- HDFC		
संपर्क व्यक्ति का नाम और नंबर	महेश बंगेरा- 9004173256 (mahesh.bangera@arcil.co.in), शैलेष गायकवाड़-9867929121 (shailesh.gaikwad@arcil.co.in), शत्रुघन- 9570774774 (satrughan@arcil.co.in)		

नियम और शर्तें

1. नीलामी बिक्री की सलाह वेबसाइट **https://arcil.co.in** के माध्यम से और बोली दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों के अनुसार और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दी जा रही है।
2. अधिकृत अधिकारी (एओ) **एआरसीआईएल** को कनेक्टिविटी नेटवर्क नेटवर्क समस्याओं, सिस्टम क्रैश होने, बिजली की विफलता आदि के लिए ईस्पॉन्सीबी नहीं भेजा जाएगा।
3. नीलामी के किसी भी चरण में एओ बिना कोई कारण बताए और बिना किसी पूर्व सूचना के बोली प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार या रद्द कर सकता है या ऑटो को स्थगित कर सकता है।
4. सफल क्रेता बोलीदाता किसी भी वैधानिक बकाया, शुल्क और जीएसटी पर देय शुल्क वहन करेगा। खरीद पर सहमति, स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि। लागू कानून के अनुसार सुरक्षित परिसंपत्ति को उसके उत्तराधिकारियों के पक्ष में वितरित करने के लिए भुगतान करना आवश्यक है।
5. इच्छुक बोलीदाताओं को ऋणभार, सुरक्षित संपत्ति के शीर्षक और दावा/प्रतिभूति को प्रभावित करने के संबंध में अपनी स्वयं की स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति, वैधानिक बकाया आदि सहित। नीलामी विज्ञापन **एआरसीआईएल** की किसी भी प्रतिबद्धता या किसी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही करेगा। **एआरसीआईएल** का प्राधिकृत अधिकारी किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
6. समाचार पत्र में प्रकाशित नीलामी नोटिस में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताए गए हैं, हालांकि अधोहस्ताक्षरी किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
7. बोनोवेन गारंटर मॉर्टगैगर्स, जो उक्त बकाया राशि के लिए उत्तरदायी हैं, इस बिक्री नोटिस को उपरोक्त नीलामी बिक्री की अवधि के बारे में सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियमों के नियम 8 और 9 के तहत एक नोटिस के रूप में मानेंगे।
8. यदि यहां ऊपर निर्धारित नीलामी किसी भी कारण से विफल हो जाती है, तो एआरसीआईएल को नियमों और अधिनियम के नियम 8(5) के प्रावधानों के तहत किसी अन्य तरीके से सुरक्षित संपत्ति बेचने का अधिकार है।

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 25-10-2024

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी,
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड